

निर्णय नं इजलास डॉ. जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 94/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर
सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स श्री विनायक साड़ी सेन्टर प्रो. श्री बालकृष्ण गुप्ता पुत्र श्री भौरीलाल गुप्ता (ऋणी)

(अ) हीरापुरा रोड, लूनियावास, जयपुर (राज.)

(ब) प्लॉट नं. 144, खण्डेलवाल कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर (राज.)

(स) 280, मुख्य बाजार रास्ता, विवाई, तहसील- बसवा, जिला- दौसा (राज.)

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security interest
Act. 2002


उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।



आदेश

दिनांक 2.7.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.07.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स श्री विनायक साड़ी सेन्टर प्रो. श्री बालकृष्ण गुप्ता पुत्र श्री भौरीलाल गुप्ता का हाईपोथिकेटेड स्टॉक, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिशड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को बन्धक कर रु. 3,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29/08/2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.08.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में अप्रार्थी ऋणी की नोटिस प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक मैसर्स श्री विनायक साड़ी सेन्टर प्रो. श्री बालकृष्ण गुप्ता पुत्र श्री भौरीलाल गुप्ता का हाईपोथिकेडेड स्टॉक, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोध प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिश्ट गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक-इन-ट्रांजिट, सण्डी डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक-डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिंग, रिसेिवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।
5. आदेश आज दिनांक 2.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(Handwritten signature)

(डॉ. जोगाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
(महकमर) जयपुर